

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02^{MS}-अप्रैल, 2022

विषय:-126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु जनपद चमोली के तहसील जिलासू अन्तर्गत ग्राम सिंवाई में रेलवे स्टेशन/टनल के निर्माण हेतु 0.1235 है० उत्तराखण्ड सरकार की भूमि भारतीय रेल, भारत सरकार के नाम आवंटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1632/छब्बीस-07(2021-2022), दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 तथा पत्र संख्या-3575/छब्बीस-07(2021-2022), दिनांक 30 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु जनपद चमोली के तहसील जिलासू अन्तर्गत ग्राम सिंवाई में रेलवे स्टेशन/टनल के निर्माण हेतु ग्राम सिंवाई की खाता खतौनी संख्या-18 के खसरा संख्या-255 रकबा 0.008 है० भूमि मध्ये 0.006 है० खसरा संख्या-260 रकबा 0.028 है० भूमि मध्ये 0.013 है०, खसरा संख्या-278 रकबा 0.004 है०, खसरा संख्या-859 रकबा 0.010 है० भूमि मध्ये 0.005 है० खसरा संख्या-870 रकबा 0.100 है० भूमि मध्ये 0.070 है०, खसरा संख्या-910 रकबा 0.074 है०, खसरा संख्या-952 रकबा 0.026 है०, खसरा संख्या-2237 रकबा 0.030 है०, भूमि मध्ये 0.015 है० खसरा संख्या-2246 रकबा 0.065 है० जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, खाता खतौनी संख्या-52 के खसरा संख्या-272 रकबा 0.028 है० खसरा संख्या-438 रकबा 0.009 है०, खसरा संख्या-463 रकबा 0.024 है०, खसरा संख्या 847 रकबा 0.492 है०, खसरा संख्या- 895 रकबा 0.026 है०, खसरा संख्या-903 रकबा 0.040 है०, खसरा संख्या-917 रकबा 0.034 है०, खसरा संख्या-940 रकबा 0.009 है०, खसरा संख्या-951 रकबा 0.235 है० भूमि एवं खाता खतौनी संख्या-50 के खसरा संख्या-467 रकबा 0.060 है० भूमि जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात् कुल 1.235 है० भूमि भारतीय रेल, भारत सरकार के नाम आवंटन करने के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु जनपद चमोली के तहसील जिलासू अन्तर्गत ग्राम सिंवाई में रेलवे स्टेशन/टनल के निर्माण हेतु ग्राम सिंवाई की खाता खतौनी संख्या-18 के खसरा संख्या-255 रकबा 0.008 है० भूमि मध्ये 0.006 है० खसरा संख्या-260 रकबा 0.028 है० भूमि मध्ये 0.013 है०, खसरा संख्या-278 रकबा 0.004 है०, खसरा संख्या-859 रकबा 0.010 है० भूमि मध्ये 0.005 है० खसरा संख्या-870 रकबा 0.100 है० भूमि मध्ये 0.070 है०, खसरा संख्या-910 रकबा 0.074 है०, खसरा संख्या-952 रकबा 0.026 है०, खसरा संख्या-2237 रकबा 0.030 है०, भूमि मध्ये 0.015 है० खसरा संख्या-2246 रकबा 0.065 है० जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, खाता खतौनी संख्या-52 के खसरा संख्या 272 रकबा 0.028 है० खसरा संख्या-438 रकबा 0.009 है०, खसरा संख्या 463 रकबा 0.024 है०, खसरा संख्या 847 रकबा 0.492 है०, खसरा संख्या 895 रकबा 0.026 है०, खसरा संख्या 903 रकबा 0.040 है०, खसरा संख्या 917 रकबा 0.034 है०, खसरा संख्या 940 रकबा 0.009 है०, खसरा संख्या-951 रकबा 0.235 है० भूमि एवं खाता खतौनी संख्या-50 के खसरा संख्या-467 रकबा 0.060 है० भूमि जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) भीटा के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात् कुल 1.235 है० भूमि शासनादेश संख्या-496/XVII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का नजराना एवं मालगुजारी की कुल धनराशि रू० 53,76,725.00 (तिरेपन लाख छियत्तर हजार सात सौ पच्चीस रूपये मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय भारतीय रेल, भारत सरकार के नाम निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सर्वाधिकार सहित सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।
- 2- प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय

- 5- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत दी गयी है।
 - 6- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - 7- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
 - 8- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
 - 9- भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
 - 10- विभाग द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 11- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 3- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Deependra Kumar
Chaudhari

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी) 29-04-2022 10:21:34
सचिव (प्रभारी),

संख्या-620/XVIII(II)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, कार्यालय भवन, अपोजिट जी०एस०टी०, भवन, निकट गढ़वाल मण्डल विकास निगम, श्यामपुर बाईपास रोड, ऋषिकेश।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।